तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6293/2006/जयपुर संजय कुमार बनाम श्री नारायण	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित–

श्री संजय शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी

श्री जगदीश सैनी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1 ता 6

श्री अविरल गोयल, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 23

श्री खुर्शीद अनवर, उपराजकीय अधिवक्ता, राजस्थान सरकार की ओर से

अन्य की तरफ से कोई हाजिर नहीं

निर्णय

दिनांक 01.04.2024

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या–81/2002 बउनवानी नारायण व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06–06–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी, जोन डी–2 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा दिनांक 10–01–2002 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ख सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(11) के प्रावधानों के अनुसार खसरा नम्बर 96 रकबा 113बीघा में से खातेदार बालू पुत्र गोविन्दा के हिस्से की 1/8 भूमि पर से, गणेश पुत्र भगवान के हिस्से की 1/8 भूमि पर से तथा काना, बोदू पुत्रगण मंगला के हिस्से की 1/8 भूमि पर से खातेदारी अधिकारों का पर्यवसन करने का आदेश पारित करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 154 के प्रावधान के अनुसार उक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित तहसीलदार को प्रदान किये। इस आदेश के विरूद्ध नारायण व अन्य छः अपीलार्थीगण ने सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 06–06–2006 से स्वीकार कर प्राधिकृत अधिकारी जोन डी–2 जयपुर विकास विकास प्राधिकरण जयपुर का आदेश दिनांक 10–01–2002 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः निर्देशों के साथ उन्हें प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 96सीपीसी के प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6293/2006/जयपुर संजय कुमार बनाम श्री नारायण	नम्बर व तारीख
	विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी निगराकार का तर्क है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 113 ग्राम बोयतावाला में है, जो गणेश पुत्र भगवान द्वारा व अन्य द्वारा अपने 1/8 हिस्से की भूमि का बैचान सोसायटी को किया और जिसमें से मात्र 1/8 हिस्सा 14बीघा 02बिस्वा का विवाद है। अप्रार्थी संख्या–1 से 6 को नोटिस दिया गया, उनके हस्ताक्षर है, उनकी तामिल हुई है, उसके बाद प्राधिकृत अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10–01–2002 को 90–बी की कार्यवाही की गयी। जयपुर विकास प्राधिकारी के नाम जमीन हो गयी, उसके बाद अप्रार्थीगण द्वारा सम्भागीय आयुक्त के यहां अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 06–06–2006 को स्वीकार हुई और प्रकरण रिमाण्ड कर दिया गया जबकि धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जोकि कानूनी प्रावधान के तहत आवश्यक था, मौके पर जयपुर विकास प्राधिकरण का कैम्प लग चुका है। विपक्षी संख्या–9 से 12 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 1 नियम 10सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश करने पर पक्षकार बनाया गया। धारा 96सीपीसी के आवेदन के साथ निगरानी पेश की गयी है और प्रार्थी स्वयं भी प्लाट होल्डर है। सम्भागीय आयुक्त द्वारा अप्रार्थी गोपाल वगैराह का जवाब होना मानते हुए आदेश सुनाया है। इसलिए मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध आदेश नहीं माना जा सकता। जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन आपस में एक ही है जो बी–2 जोन ही डी–2 जोन हुआ है, उससे पहले यह जोन–6 था। दोनों जोन एक ही है, अलग अलग नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में गणेश का नाम सहवन से लिखा गया है वास्वत में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नोटिस गणेश के वारिसान 1 लगाय 6 को ही जारी किये गये थे और उन्होंने अपने अपील आफ मीमों के पैरा संख्या–4 में भी इस तथ्य को स्वीकार किया है और उन्होंने प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपना जवाब भी पेश किया था। इसलिए उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिला है और यदि मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध आदेश मानते है तो सम्पूर्ण आदेश ही अपास्त होता, आंशिक आदेश अपास्त नहीं हो सकता जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शेष आदेश को विधिसम्मत् माना है। सम्भागीय आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी संधारण योग्य है, इस पर शीला कोठारी का जजमैन्ट माननीय उच्च न्यायालय का है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे। विपक्षी संख्या–23 के अधिवक्ता श्री अविरल गोयल ने लिखित बहस पेश कि व उक्त तर्को का समर्थन करते हुए आगे यह तर्क किया कि वे भी प्लाटधारी व्यक्ति है और वर्ष 2005 में सोसायटी में प्रशासक नियुक्त था। प्रशासक रिपोर्ट दिनांक 22.06.2005 से यह प्रकट है कि सोसायटी द्वारा खातेदारों को 75प्रतिशत का भुगतान दे दिया गया है। माधोलाल और प्रमोद कभी भी समिति के संयोजक व पदाधिकारी नहीं थे, ना ही पदस्थापित है। व्यक्तिगत हैसियत से यदि कोई डिक्री प्राप्त की है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6293/2006/जयपुर संजय कुमार बनाम श्री नारायण	नम्बर व तारीख

तो समिति उससे पाबन्द नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी श्री जगदीश सैनी का तर्क है कि खसरा नम्बर 96 रकबा 113बीघा में से उनका 1/8 हिस्सा गणेश के नाम है जिसका उन्होनें कभी बैचान नहीं किया। दिनांक 18-3-1996 को उनका देहान्त हो गया था। नामान्तकरण संख्या 122 दिनांक 7-6-1999 फौतगी नामान्तकरण है जो अप्रार्थी संख्या-1 से 6 के पक्ष में खोला गया है। माधोलाल के विरूद्ध दिनांक 23-10-1999 को डिक्री हुआ है। माधोलाल समिति का संयोजक था। रजिस्टेशन आदि में उनका नाम अंकित है। समिति ने अन्य खातेदारों से फर्जी खरीद दिखा कर बैचान बताया है। उस बैचान में गणेश पुत्र भगवान का 1/8, बालू पुत्र गोविन्द का 1/8, काना बोदू पुत्र भगवान का 1/8 हिस्सा बताया है और दूसरा करार दिनांक 4-2-1991 का बताया है वह भी फर्जी है। दिनांक 19-10-1999 को लीगल नोटिस दिया गया था, जिसका हमने कोई जवाब नहीं दिया। समिति का कब्जा नहीं है। दिनांक 11-3-2000 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसमें पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया है। इसी दौरान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-बी का प्रावधान आ गया और जोन बी-3 में उनके द्वारा जवाब पेश किया गया जबकि तहसीलदार द्वारा आवेदन जोन डी-2 में पेश किया गया था, जिसकी उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी और बाले-बाले धारा 90-बी का आदेश करवा लिया और नामान्तरकरण संख्या 160 और 164 दिनांक 30-5-2002 को सिवाय चक दर्ज करवा ली। 20प्रतिशत पर मकान होना और शेष भूमि होना बताया है जबकि मौके पर आज भी प्लाट नहीं है। बालू पुत्र गोविन्द द्वारा जो जमीन विक्रय की गयी वह मित्र गृह निर्माण समिति की है जिसमें कालोनी बसी हुई है। मौके पर कोई अशोक विहार नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण की नोटशीट में काना, बोदू द्वारा अपील विड्रा करने का उल्लेख अवश्य है। समिति द्वारा नई चाल चलते हुए जमीन खरीद करना बता दिया जबकि सीमाऐं मिलती नहीं है और जमीन चिन्हित हुए बिना धारा 90-बी नहीं हो सकती। जो-6 में आवेदन किया और फिर तकासमा करा लिया और न्याय प्रदान करने के लिए बाद की घटनाओं को भी देखा जा सकता है और समग्र रूप से साररूप से तर्क किया कि मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय शून्य है, बिना क्षेत्राधिकार के किया गया आदेश शून्य है। सम्भागीय आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी नहीं हो सकती। अपील में पक्षकार नहीं है तो निगरानी नहीं कर सकते। रिमाण्ड आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। समिमि का सदस्य है तो व्यक्तिगत अधिकार शेष नहीं रहता। अतः निगरानी खारिज की जावे। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये -

1. 1998 डब्लयूएलसी यूसी पेज 001
2. 2007(5) डब्लयूएलसी पेज 395

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6293/2006/जयपुर संजय कुमार बनाम श्री नारायण	नम्बर व तारीख

3. 1957 एआईआर पेज 71
4. 2015 डब्लयूएलसी यूसी पेज 22
5. 2021(2) आरआरटी पेज 1026
6. 2018(3) डीएनजे पेज 927
7. 2016(1) डीएनजे पेज 351
8. 2012(2) एससीसी पेज 107
9. 2011(2) आरआरटी पेज 1253

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी 1 ता 6 की ओर से सर्वप्रथम आपत्ति यह है कि प्रार्थी द्वारा जो निगरानी पेश की गई है वह पोषणीय नहीं है इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है की अपील एडमिट की जा चुकी है अब इसका गुणावगुण पर ही निस्तारण किया जा सकता है और प्रथम अपील के समय अन्य भूखंड धारियों को पक्षकार बनाया गया है और यहां तक कि मंडल हाजा द्वारा भी विपक्षी संख्या 23 को पक्षकार बनाया गया है और प्रार्थी भी भूखंड धारी है इसलिए उसे अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है इन परस्पर दिए गए तर्कों पर विचार किया गया।

विपक्षी गैरनिगरानीकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1998 डब्लयूएलसी यूसी 001 में व्यक्त किया है कि– Civil Procedure Code, Ss. 3, 24, 115- Revision against orders of Motor Vehicles Claims Tribunal or Workman's Compensation Commissioner - Maintainability - Both have trapping of court but are not civil courts- Presiding Officers in them need not be judicial officers subordinate to High Court - Even if Judicial Officers, they preside not as persona designata but ac as Tribunal which is not Civil Court under S. 3 - Courts and Tribunal ar distinct - Revision against orders of said Tribunal or said Commissioner doe : not lie to High Court but revision, on application, can be treated as Petition : under Arts. 226 or 227 of the Constitution.

अन्य न्यायिक दृष्टांत 2007(5) डब्लयूएलसी पेज 395 में व्यक्त किया है कि– Rajasthan Land Revenue Act, 1956, S. 84 - Revision - When not maintainable -- Gram Panchayat not party in appeal before Revenue Appellate Authority - State alone party in said appeal - Revision by Gram Panchayat not maintainable, when suit of State for correction of entries was pending in court of Sub - Divisional Officer.

अन्य न्यायिक दृष्टांत 1957 एआईआर पेज 71 में व्यक्त किया है कि– Civil P. C. (1908), Ss. 151, 115, O. 41, R. 23 - Order of remand

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6293/2006/जयपुर संजय कुमार बनाम श्री नारायण	नम्बर व तारीख
	under inherent powers - Revision does not lie : 1954 Raj LW 578 and 1955 Raj LW 9 and ILR (1955) 5 Raj 492, Dissented from. अन्य न्यायिक दृष्टांत 2015 डब्लयूएलसी यूसी 22 में व्यक्त किया है कि– Civil Procedure Code, S. 96 - Appeal from decree for possession coupled with permanent injunction - Unsustainability - No evidence of clear title of plaintiffs who have failed to prove their ownership over disputed plot - Decree set aside. अन्य न्यायिक दृष्टांत 2021(2) आरआरटी पेज 1026 में व्यक्त किया है कि– Rajasthan Land Revenue Act, 1956 - Section 82 -- Review - Order passed against a dead person - Khaju died on 13.11.2011 and order passed on 23.8.2013 - Held, Order is void and set aside. अन्य न्यायिक दृष्टांत 2018(3) डीएनजे पेज 927 में व्यक्त किया है कि– Civil Procedure Code, 1908 - Sec. 115, O. 22, R. 9 - Revision filed by respondent Nos . 1 to 3 against the order of granting NOC in favour of 'C' was allowed by the Director LSD and set aside the order - Petitioner 'K' and Executive Officer were also party in the revision - 'C' died pending revision and no LR's were substituted— Revision abated against 'C' and no order could be passed against LR's of 'C' - Held, Order set aside. अन्य न्यायिक दृष्टांत 2016(1) डीएनजे पेज 351 में व्यक्त किया है कि– Civil Procedure Code, 1908-O. 39, Rr. 1 & 2 - Temporary injunction- Application rejected - Appellant plaintiff has prima facie failed to prove the possession over the disputed land - Delay of 29 years infiling suit - In Civil Suit No. 15/2010 the appellant failed to prove himself the adopted son of 'R' - No stay order was in effect when the land in question was sold - Land mutated in the name of Respondents No. 2 and 3 - Necessary three ingredients not proved - Held, Appeal is devoid of merit and dismissed. अन्य न्यायिक दृष्टांत 2012(2) एससीसी पेज 107 में व्यक्त किया है कि– Hindu Succession Act, 1956 - Ss. 6 & 8 Restoration of partition suit by legal heir of deceased - Right to seek - Held, Respondent 1 being deceased's daughter , right to sue survived and she was entitled to continue proceedings- Deceased was a male Hindu who had died intestate claiming interest in joint properties which were subject - matter of partition suit Hence , his share would devolve upon	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6293/2006/जयपुर संजय कुमार बनाम श्री नारायण	नम्बर व तारीख
	Respondent 1 in case partition suit was decreed - Thus , Respondent 1 was entitled to be substituted in place of her deceased father Hence , further held , she was also entitled to file an application for restoration of partition suit which was dismissed as withdrawn by forging her father's signatures Civil Procedure Code , 1908, Or. 22 Rr. 1 & 3 and Or. 23 R. 1 अन्य न्यायिक दृष्टांत 2011(2) आरआरटी पेज 1253 में व्यक्त किया है कि– Transfer of Property Act, 1882 - Secs. 53A, 54 & 55 - Registration Act, 1908 - Sec. 17 - Indian Stamp Act, 1899 - Secs . 23 & 27 - Power Attorney Act, 1882 - Secs. 1A and 2 - Agreement to sale, power of attorney and Will - Validity of - Said document does not confer any right, title or interest in an immovable property - Immovable Property can be transferred by a registered deed only - Held , Transactions ' through SA / GPA / Will are stand incomplete. इन न्यायिक दृष्टांतों में सीपीसी की धारा 115 आदेश 41 नियम 23 सीपीसी, आदेश 22 नियम 4 सीपीसी, आदेश 22 नियम 9 सीपीसी आदि प्रावधानों की प्रकरण के तथ्यों के अनुसार विवेचना करते हुए निर्णय पारित किए गए है। मौजूदा प्रकरण में मात्र जयपुर विकास प्राधिकरण अधिकारी द्वारा धारा 90 बी भू–राजस्व अधिनियम के तहत आदेश पारित किया गया है और तथ्यों की भिन्न्ता के कारण से अप्रार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विपक्षी संख्या 9 ता 22 द्वारा भूखंड धारी होने के आधार पर दिनांक 22 11 2005 को आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 01–05–2006 को स्वीकार किया गया है और इसी प्रकार मौजूदा निगरानी में दिनांक 07–09–2022 को प्रताप सिंह उर्फ छोटू द्वारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसको भी दिनांक 11–11–2022 को पक्षकार बनाया जाकर उसे सुनने का अवसर प्रदान किया गया है और उक्त आदेश अंतिम है और प्रार्थी संजय कुमार भी अपने आप को भूखंड धारी बता करके ही स्वयं को प्रभावी और पीड़ित होना मानकर धारा 96 के आवेदन के साथ यह निगरानी पेश की है प्रार्थी भी अन्य भूखंड धारियो के समान ही प्रभावी पक्षकार है और उसका पक्ष सुना जाना न्याय हित में आवश्यक है क्योंकि धारा 96 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना उचित है। अतः अप्रार्थी अधिवक्ता की उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण जोन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6293/2006/जयपुर संजय कुमार बनाम श्री नारायण	नम्बर व तारीख
	बी2 के निर्णय दिनांक 10–01–2002 के विरुद्ध मौजूदा अप्रार्थीगण 1 ता 6 की ओर से अपील दिनांक 24–06–2002 को प्रस्तुत की गई और साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया, जो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील संख्या 81/2002 के रूप में दर्ज करते हुए निर्णय दिनांक 06–06–2006 को सुनाया गया और इस निर्णय द्वारा जोन बी2 जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 10–01–2002 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए और जोन बी3 और डी2 के पत्रावली को एक साथ करते हुए और गणेश के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने के पश्चात पुनः कार्यवाही करने के आदेश दिए गए लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह प्रकट है कि दौराने अपील दिनांक 22–11–2005 को मौजूदा अप्रार्थी 9 ता 22 द्वारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और उस प्रार्थना पत्र को दिनाक 01–05–2006 को स्वीकार किया गया और उन्हें पक्षकार संयोजित किया गया लेकिन अपील का निर्णय करने से पहले धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। आदेशिका के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि दिनांक 06–06–2006 को ही पत्रावली पर बहस सुनी गई और उसी दिन इसका निस्तारण करते हुए प्रकरण रिमांड किया लेकिन धारा 5 मियाद अधिनियम के बारे में कोई विवेचन निर्णय में नहीं दिया गया जबकि मीमो ऑफ अपील के पैरा संख्या 16 में अपील देरी से पेश करने का और विलंब को क्षमा करने और साथ में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का भी उल्लेख किया है और पत्रावली के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि अपीलीय पत्रावली में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्रावली के पेज 4/14 से 4/17 मेमो का अपील के साथ संलग्न है लेकिन इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। जब कभी भी कोई अपील निर्धारित अपील मियाद के बाद पेश की जाती है तो सर्वप्रथम आदेश 41 नियम 03ए सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार मियाद के बिंदु का विनिश्चय किया जाना आवश्यक है और इस संबंध में आदेश 41 नियम 3ए सीपीसी के प्रावधान महत्वपूर्ण है जो निम्न प्रकार हैं– **Order 41 Rule 3 (A). Application for condonation of delay** - (1) when and appeal is presented after the expiry of the period of limitation specified therefore, it shall be accompanied by an application supported by affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6293/2006/जयपुर संजय कुमार बनाम श्री नारायण	नम्बर व तारीख

(2) if the court sees no reason to reject the application without the issue of a notice to the respondent, notice their of shall be issued to the respondent and the matter shall be finally decided by the court before it proceeds to deal with the appeal under rule 11 or rule 13 comma as the case may be.

(3) where an application has been made under Sab rule (1), the court Shall not make an order for the stay of execution of the decree against which the appeal is proposed to be filed so long as the court doesn't, after hearing under rule 11, decide to hear the appeal.

न्यायिक दृष्टान्त 2006 आरबीजे (13) पेज 78 में भी माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश 41 नियम 3–ए व परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की विवेचना करते हुए उल्लेख किया है कि देरी को कण्डोन किय बिना अपील पोषणीय नहीं है। Without condonation of delay appeal is not competent.

न्यायिक दृष्टान्त 1998 डीएनजे राज. पेज 767 में भी माननीय उच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया है कि जहां अपील और याचिका में परिसीमा का बिन्दू निहित है, वहां सबसे पहले परिसीमा का बिन्दू ही निपटाया जायेगा और इस न्यायिक दृष्टान्त में भी धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र का निस्तारण किये बिना निपटाया गया था और आदेश को अपास्त किया एवं मामला लौटाया गया।

न्यायिक दृष्टान्त 2009 डीएनजे सुप्रीम कोर्ट पेज 141 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया है कि देरी को अपास्त किये बिना किया गया आदेश विधिसम्मत् नहीं है और न्यायिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए पुनः सुनवाई के प्रकरण प्रेषित किया। Without condoning the delay and entertaining the writ appeal high court passed the various interim order- It was impermissible as the appeal was non-est in the eye of law.....Case remitted to high court to decide afresh.

इस प्रकार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील का निस्तारण करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण नहीं किया है जबकि सीपीसी के प्रावधानों के तहत अपील मियाद बाहर होने की स्थिति में सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना आवश्यक है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिन आधारों पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को रिमांड किया गया है वह कार्य अपीलीय न्यायालय भी अपने स्तर पर करने को सक्षम है अपील Is The

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6293/2006/जयपुर संजय कुमार बनाम श्री नारायण	नम्बर व तारीख
	Continous Of Suit होती है अर्थात् जो कार्यवाही सुनवाई के दौरान विचारण न्यायालय करता है वही कार्यवाही अपीलीय न्यायालय अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए भी कर सकता है समान आधारों पर अपील को रिमांड करने की बजाय उसे गुणावगुण पर ही निस्तारित किया जाना चाहिए मौजूदा प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जॉन डी2 और बी3 का पत्रावली के साथ करते हुए आदेश पारित करने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन जब जॉन बी3 की अंतिम आदेशिका अभिलेख पर नहीं है ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम प्रथम अपीलीय न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि वह यदि दोनों प्रकरण अलग–अलग होना मानते हैं तो दोनों प्रकरणो की पत्रावलियां तलब करने के पश्चात और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् की दोनों पत्रावलियां अलग–अलग है अथवा गैर प्रशासनिक कार्यवाही के दौरान उक्त जॉन डी2 से बी2 में या डी2 से बी3 में प्रकरण सामान्य क्रम में अंतरित हुआ है, इस तथ्य पर गौर किए बिना ही सामान्य प्रक्रिया में ही प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है जोकि उचित नही है। सर्वप्रथम अपीलीय न्यायालय, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय दोनों प्रकरण यदि लंबित है तो उनके प्रकरण की पत्रावली तलब करने के पश्चात् ही यह सुनिश्चित करने के पश्चात् ही इस संबंध में गुणावगुण पर आदेश पारित करे। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के जॉन डी2 के आदेश दिनांक 10–01–2022 को अपील की हद तक निरस्त किया गया है जबकि यदि आदेश में कोई अवैधता रहती है तो उक्त आदेश संपूर्ण रूप से ही अपास्त होता है आंशिक रूप से नही, इसलिए भी यह आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार मामला विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि वह इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार कानूनी बिन्दुओं को तय करते हुए अपील पर सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र का निस्तारण करे एवं यदि अपील सुनवाई योग्य पाई जाती है तो विचारण न्यायालय का रिकार्ड तलब करने के पश्चात् ही विधिसम्मत आदेश पारित करे। परिणामतः निगरानी संख्या– 6293/2006 बउनवानी संजय कुमार बनाम श्री नारायण उपरोक्तानुसार निर्णित की जाती है। पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में दिनांक 30.04.2024 को उपस्थित रहे और उससे पूर्व संबंधित रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6293/2006/जयपुर संजय कुमार बनाम श्री नारायण	नम्बर व तारीख
	निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	